

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 04/2025 अंतर्गत धारा 90-ए(9) एल.आर.एक्ट  
(GCMS No: 2025/150)

अनवान:

1. अख्तर अली पुत्र इस्माईल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 23, राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु।
2. प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ़ जिला चूरु।

....रेस्पोंडेंट्स

17.2.26

पत्रावली प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अपीलांट उपस्थित। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2026 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट उपरोक्त अनवानी प्रकरण को लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर चलाना नहीं चाहते व विद्धो करना चाहते हैं। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र विद्धो प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील लोक अदालत की भावना के आधार पर फैसल फरमायी जाने का आदेश करने की कृपा करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील नगर पालिका राजगढ़ जिला चूरु द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 15.01.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धो करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्धावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

